राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
Email: jdbed.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांकः–एफ.24(NOC 25-26)/बी.एड/आकाशि/2025/

समन्वयक, पीटीईटी 2025,
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,
कोटा।

विषयः–सत्र 2025–26 के लिए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं (बी.एड.–2 वर्षीय हेतु) की काउन्सलिंग की कार्यवाही हेतु द्वितीय सूची भिजवाये जाने बाबत।

क्षेत्रीय समिति, एनसीटीई से मान्यता एवं राज्य सरकार से स्थाई/अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त संस्थाओं (बी.एड.–2 वर्षीय हेतु) की द्वितीय सूची संलग्न कर काउन्सलिंग की कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं/राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय अद्योलिखित शर्तों की पालना सुनिश्चित करें:–

1. प्रदेश में केन्द्रीयकृत प्रवेश व्यवस्था के अन्तर्गत समन्वयक पीटीईटी के माध्यम से पी.टी.ई.टी. परीक्षा 2025 की मेरिट के आधार पर बी.एड. (2 वर्षीय) पाठ्यक्रम में प्रवेश दिये जायेगें।
2. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की अन्य राशि विद्यार्थियों से नहीं लेंगे।
3. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों की पालना करनी होगी।
4. योग्यताधारी शिक्षकों की उपलब्धता की सुनिश्चितता की जावेगी।
5. राज्य सरकार के निर्णयानुसार राज्य स्तरीय काउन्सलिंग में भाग ले रहे निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं/राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय **स्वयं के स्तर पर** अथवा अन्य फेडरेशन/सोसायटी आदि के द्वारा परीक्षा आयोजित कर या **अन्य किसी आधार पर पृथक से शिक्षक–प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रदान नहीं करेगें।**
6. निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं/राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय स्वयं की वेबसाइट निर्मित कर महाविद्यालय से सम्बन्धित निम्नलिखित सूचना वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगी।
   I. एनसीटीई द्वारा जारी मान्यता आदेश,
   II. राज्य सरकार द्वारा जारी स्थायी/अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र
   III. अनुमोदित शैक्षणिक स्टॉफ एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की सूची
   IV. संचालित पाठ्यक्रम का नाम मय स्वीकृत सीट संख्या
   V. अन्य आवश्यक सभी सूचनाएं
7. प्रभावी एनसीटीई रेगूलेशन की पालना सुनिश्चित करे।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर राज्य सरकार द्वारा स्थायी/अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त किया जा सकता है।

<u>यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।</u>

अतिरिक्त आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान,जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
5. क्षेत्रीय निदेशक, पश्चिम क्षेत्रीय समिति, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, जी–7,सेक्टर–10 ,द्वारका,नई दिल्ली–110075।
6. सचिव/प्राचार्य/रजिस्ट्रार, समस्त संचालित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय।
7. प्रभारी वेबसाइट, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा,राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावे।
8. राज्य सूचना अधिकारी, एनआईसी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. तकनीकी निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली

अतिरिक्त आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान,जयपुर

Validity unknown
Digitally signed by Sunil Bhati
Designation : Additional Commissioner
Date: 2025.06.03 14:13:18 IST
Reason: Approved

B.Ed. (2 Year)

Sr. No.	District	Institute Name	Address	Tehsil	Category	Seats
23	Hanumangarh	Saraswati Mahila T T College	WARD NO 39 BIJALI COLONY ROAD NEAR CHUNA FATAK	Hanumangarh	W	100
24	Jaipur	Ahinsa T T College	VPO-BHANPUR KALAN,VIA-AMER,PIN-302028	Amer	C	100
25	Jaipur	Astha College of Education	VPO.- KANWARPURA, TEH.-KOTPUTLI, DIST.- JAIPUR	Kotputli	C	100
26	Jaipur	Dev B.ED Girls College	CHOUDHRY CHARAN SINGH COLONY, SITABARI, TONK ROAD JAIPUR	sanganer	W	100
27	Jaipur	Dr Radha Krishna T T College	SHYAM VIHAR COLONY, KISHANGARH-RENWAL	Kishangarh Renwal	C	100
28	Jaipur	Gyan Vihar School of Education	Suresh Gyan Vihar University, jagatpura, Jaipur	Sanganer	C	100
29	Jaipur	Jagan Nath University Jaipur,	Vill-Rampura Bujurg, Chaksu,Jaipur	Chaksu	C	100
30	Jaipur	Khoj T T College	VILLAGE & POST VIDHANI, GONER ROAD, TEHSIL SANGANER , JAIPUR	Sanganer	C	100
31	Jaipur	Laxmi Bai Teacher Training College	JAMWARAMGARH JAIPUR	Jamwa Ramgarh	W	100
32	Jaipur	Merry Gold B Ed College	NINDERLAND BADPIPLI,N.H. - 11, SIKAR ROAD, JAIPUR 302013	Amer	W	100
33	Jaipur	Modern Education Society Teacher Traning College	PADMAWATI COLONY - B, NIRMAN NAGAR GOPALPURA BYPASS, JAIPUR-19	sanganer	C	100
34	Jaipur	Princess B.Ed. College	OPP-RADHASWAMI BAGH JAITPUR CHOMU DIST- JAIPUR RAJ.	Chomu	W	200
35	Jaipur	Raghukul College of Education	Village-Peepla bai ka Badh, Bada Padampura, Chaksu,Jaipur	Chaksu	C	100
36	Jaipur	Sant Jogendra Teacher Training College	NEAR BALAJI ITI, FATEHPURA VILL.- KANSLI, TEH.- KOTPUTLI, DIST.- JAIPUR	Kotputli	C	100
37	Jaipur	Shri Kalyan Teachers Training College	HATHOJ KALWAR ROAD JAIPUR	Jaipur	C	100
38	Jaipur	Smt Kamla Devi TT College	V.P.O.- JOBNER, TEHSIL-PHULERA, DISTT- JAIPUR	Phulera	W	100
39	Jaipur	SWAMI VIVEKANAND TEACHER TRAINING COLLEGE	Maa Saraswati Campus Near Jatwara Bridge, Gram Gothara Tehsil Bassi District Jaipur	Bassi	C	100
40	Jaipur	Tagore Teachers Training College	NEAR DENTAL COLLEGE NH - 08 SHEKHUPUR KOTPUTLI	Kotputli	C	100
41	Jaipur	Triveni Shikshak Prashikshan Mahavidhyalay	DAUSA ROAD MANOHARPUR TEHSIL-SHAHPURA 303104	Shahpura	C	100
42	Jaipur	UNIVERSE TEACHERS TRAINING COLLEGE	Universe Teachers Training College, Rampura-Unti,(Bagru-Mojmabad Road),Bagru ,Jaipur-303007, Rajasthan	Sanganer	C	100
43	Jalore	Amar Jyoti Teachers Training College	Village- Dawal, Tehsil-Chitalwana, District-Jalor-343041	Chitalwana	C	100
44	Jhalawar	Dr Jakir Hussain M M Shikshak Prakshishan Mahavidhyalay	Gopalpura N-12 Kota Road Jhalawar	Jhalarapatan	C	100
45	Jhalawar	Millenium Shikshak Prashikshan	Manohar Thana road, Aklera	Aklera	C	100

Validity unknown

Digitally signed by Sunil Bhati
Designation : Additional Commissioner
Date: 2025.06.03 14:13:18 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
Email: jdbed.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांकः—एफ.24(NOC 25-26)/बी.एड/आकाशि/2025/ **दिनांकः हस्ताक्षर दिनांक**

समन्वयक, पीटीईटी 2025,
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,
कोटा।

विषयः—सत्र 2025—26 के लिए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं (बी.ए.बी.एड./बी.एससी.बी.एड.— 4 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम) की काउन्सलिंग की कार्यवाही हेतु सूची भिजवाये जाने बाबत।

क्षेत्रीय समिति, एनसीटीई से मान्यता एवं राज्य सरकार से स्थाई/अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त संस्थाओं (**बी.ए.बी.एड./बी.एससी.बी.एड.— 4 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम**) की सूची संलग्न कर काउन्सलिंग की कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं/राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय अद्योलिखित शर्तों की पालना सुनिश्चित करें:—

1. प्रदेश में केन्द्रीयकृत प्रवेश व्यवस्था के अन्तर्गत समन्वयक पीटीईटी के माध्यम से पी.टी.ई.टी. परीक्षा 2025 की मेरिट के आधार पर बी.ए.बी.एड./बी.एससी.बी.एड.— 4 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम में प्रवेश दिये जायेगें।
2. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की अन्य राशि विद्यार्थियों से नहीं लेंगे।
3. राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों की पालना करनी होगी।
4. योग्यताधारी शिक्षकों की उपलब्धता की सुनिश्चितता की जावेगी।
5. राज्य सरकार के निर्णयानुसार राज्य स्तरीय काउन्सलिंग में भाग ले रहे निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं/राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय **स्वयं के स्तर पर** अथवा अन्य फेडरेशन/सोसायटी आदि के द्वारा परीक्षा आयोजित कर या **अन्य किसी आधार पर पृथक से शिक्षक—प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रदान नहीं करेगें।**
6. निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं/राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय स्वयं की वेबसाइट निर्मित कर महाविद्यालय से सम्बन्धित निम्नलिखित सूचना वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगी।
   I. एनसीटीई द्वारा जारी मान्यता आदेश,
   II. राज्य सरकार द्वारा जारी स्थायी/अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र
   III. अनुमोदित शैक्षणिक स्टॉफ एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की सूची
   IV. संचालित पाठ्यक्रम का नाम मय स्वीकृत सीट संख्या
   V. अन्य आवश्यक सभी सूचनाएं
7. प्रभावी एनसीटीई रेगूलेशन की पालना सुनिश्चित करे।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर राज्य सरकार द्वारा स्थायी/अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त किया जा सकता है।

यह राज्य सरकार से अनुमोदित है।

अतिरिक्त आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान,जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप—4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
5. क्षेत्रीय निदेशक, पश्चिम क्षेत्रीय समिति, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जी—7,सेक्टर—10 ,द्वारका,नई दिल्ली—110075।
6. रजिस्ट्रार, समस्त राजपोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान।
7. सचिव/प्राचार्य/रजिस्ट्रार, समस्त संचालित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय।
8. प्रभारी वेबसाइट, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा,राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावे।
9. राज्य सूचना अधिकारी, एनआईसी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. तकनीकी निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली

अतिरिक्त आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान,जयपुर

Validity unknown
Digitally signed by Sumit Bhati
Designation : Additional Commissioner
Date: 2025.06.11 14:44:06 IST
Reason: Approved

B.A.B.Ed./B.Sc.B.Ed. (4 Year Integrated)

S. No.	District	Institute Name	Address	Tehsil	Type	Total Seats
			JAIPUR, Raj.-303012			
140	Jaipur	Kasturi Devi College,	Village-Chaksu, Tehsil-Chaksu, District-Jaipur-303901	Chaksu	सहशिक्षा	100
141	Jaipur	Maharaja Surajmal College,	Village- Ajabpur, NH-148, Tehsil- Jamwa Ramgarh, District-Jaipur- 303120	Jamwa Ramgarh	सहशिक्षा	100
142	Jaipur	Maharani Girls College	Kalwara Suratpura Road, Mahindra Word City SEZ, Sanganer, Jaipur	Sanganer	महिला	100
143	Jaipur	Mahatama Gandhi International Girls College	Village-Andhi, Tehsil-Jamwaramgarh, Dist- Jaipur	Jamwaramgarh	महिला	100
144	Jaipur	Manav P.G. Mahavidhyalay,	Village-Chaksu Tonk Road, Tehsil-Chaksu, Jaipur	Chaksu	सहशिक्षा	50
145	Jaipur	Navrang Shikshak Prashikshan Mahavidhyalaya	Village-Maid, Tehsil-Virat Nagar, Jaipur	Viratnagar	सहशिक्षा	100
146	Jaipur	Prabha Devi Memorial Mahavidyalaya, ,	Village -Kabir Dungri, Tehsil-Amer District-Jaipur	Amer	सहशिक्षा	100
147	Jaipur	R.G Teacher Training College,	Survey No.2907,2917,2920, Village-Virat Nagar, Ganesh ji Road, Tehsil-Virat Nagar, Dist.-Jaipur	Virat Nagar	सहशिक्षा	100
148	Jaipur	Raghukul College of Education,	Village -Pipla Bai Ka Barh, Shivdaspura, Tehsil-Chaksu, District-Jaipur	Chaksu	सहशिक्षा	100
149	Jaipur	Rajasthan Shikshak Prashikshan Vidyapeeth ,	Village -Shahpura Bagh, Amer Road, Tehsil-Jaipur, District-Jaipur	Jaipur	सहशिक्षा	50
150	Jaipur	Ratan Devi College,	Khasra No.692, 704,707,708,709,710 NH-11, Singod Road, Village-Dhodhsar, Tehsil-Chomu, Dist.-Jaipur-303712	Chomu	सहशिक्षा	(1 Unit) 50 B.A.B.Ed.
151	Jaipur	S.S.G.Pareek P.G.College of Education	Village-Jhotwara, Jaipur	Jaipur	सहशिक्षा	100
152	Jaipur	S.S.Jain Subodh Mahila Shikshan Prashikshan Mahavidyalaya,	Village - Budhsinghpura, Airport Road, Tehsil-Sanganer, District-Jaipur-302011	Sanganer	महिला	100
153	Jaipur	Sadguru Institute of Education,	Village-Muhana, Tehsil-Sanganer, Dist-Jaipur-302029	Sanganer	सहशिक्षा	100
154	Jaipur	Saheed Bhagat Singh Girls B.Ed.College,	Plot No- 37/3, Village-Hingonia Jhotwara, Tehsil-Jhotwara, Dist-Jaipur	Jhotwara (Jaipur)	महिला	100
155	Jaipur	Sarswati Girls College,	Village-Manoharpur, Tehsil-Shahpura, Dist-Jaipur-303104	Shahpura	महिला	100
156	Jaipur	Shri Krishna Mahavidhyalay	Village-Govindgarh, Tehsil-Chomu ,Jaipur	Chomu	सहशिक्षा	100
157	Jaipur	Shri Agrasen Snatkottar Shiksha Mahavidhyalaya CTE, Keshav Vidyapeeth,	Village-Jamdoli, Tehsil-Amer,Jaipur	Amer	सहशिक्षा	100
158	Jaipur	Shri Krishana Teacher Training College	Manoharpur Shahpura, Jaipur	Shahpura	सहशिक्षा	100
159	Jaipur	Siddarth College of Education	Village-Bilwa, Tehsil-Sanganer,Jaipur	Sanganer	सहशिक्षा	100
160	Jaipur	Sneh Teachers Training College	VillageMuhana, Newata Road, Sanganer, Jaipur	Sanganer	सहशिक्षा	100
161	Jaipur	ST. Joseph College, B.A. B.ED./B.SC. B.ED.	Sector -07, Pratap Nagar, Tehsil-Sanganer, Dist-Jaipur-302020	Sanganer	सहशिक्षा	100
162	Jaipur	ST. Xavier's Teachers Training College,	Village -Rampura, Tehsil-Phagi, Dist-Jaipur-303005	[illegible]	सहशिक्षा	100
163	Jaipur	Swarup College of	Khasra No.1580,1586,1588,	[illegible]	सहशिक्षा	100

Validity unknown
Digitally signed by Sunil Bhati
Designation : Additional Commissioner
Date: 2025.06.11 14:44:06 IST
Reason: Approved

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ4 (741)आकाशि/नि.सं./2013/ 1999 दिनांक:– 16.08.18

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत सत्र 2018–19 से स्नातक स्तर पर पूर्वसंचालित संकाय व विषय में स्थाई अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:–

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्धक विश्वविद्यालय	पूर्वसंचालित संकाय व विषय
रघुकुल रिसर्च एण्ड टैक्नीकल इन्स्टीट्यूट, मॉडल टाउन–ए, जगतपुरा रोड, मालवीय नगर, जयपुर।	[illegible] कॉलेज ऑफ एजुकेशन, पीपला बाई का बास, खजुरिया, बाड़ा पदमपुरा, चाकसू, जयपुर।	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।	स्नातक स्तर पर - कला संकाय–भूगोल, हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, राजनीति विज्ञान, लोकप्रशासन, अर्थशास्त्र, चित्रकला।

1. संस्था प्रत्येक सत्र में निर्धारित अवधि में नियमानुसार मय वार्षिक शुल्क आवेदन करेगी।
2. आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
3. संस्था को समय–समय पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
4. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संवद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी0सी0आई0 से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
5. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
6. संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
7. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ–साथ अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
8. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
9. संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करे।
10. राज्य सरकार की निजी महाविद्यालय नीति 2018–19 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
11. संस्था प्रति वर्ष विभाग की वेबसाइट www.dcc.rajasthan.gov.in से सांख्यिकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
12. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल www.aishc.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय इसकी हार्ड कॉपी आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगा।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र को प्रत्याहरित कर लिया जायेगा।

16/8

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. विशिष्ट सहायक, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, जयपुर।
4. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय।
6. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांक: एफ4 (266)आकाशि/नि.सं./2013/ 235 दिनांक:– 18/04/2022

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत महाविद्यालय को **सत्र 2021–22 से स्नातक स्तर पर नवीन संकाय/विषय में स्थाई** अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्नलिखित शर्तो के साथ प्रदान किया जाता है:–

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्धक विश्वविद्यालय	नवीन संकाय/ विषय
रघुकुल रिसर्च एण्ड टेक्नीकल इन्स्टीट्यूट, मॉडल टाउन–ए, मालवीय नगर, जयपुर–17	**रघुकुल कॉलेज ऑफ एजुकेशन,** पीपला बाई का बाड, शिवदासपुरा, चाकसू, जयपुर।	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।	**अनिवार्य विषयों सहित स्नातक स्तर पर–** **विज्ञान संकाय–** रसायनशास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, भौतिक शास्त्र, गणित, भूगोल।

1. संस्था प्रत्येक सत्र मे निरीक्षण करवाने हेतु नियमानुसार निरीक्षण शुल्क जमा करवाकर ऑनलाईन प्रपत्र प्रस्तुत करेगी।
2. **संस्था प्रति वर्ष विभाग के NOC पोर्टल पर आवश्यक सांख्यिकी एवं महाविद्यालय की सूचनाएं निर्धारित अवधि में भरकर अपलोड़ करेगी।**
3. आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
4. संस्था को समय–समय पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
5. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी0सी0आई0 से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
6. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
7. संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा
8. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ–साथ अन्य निर्धारित शर्तो की पालना करेगी।
9. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नही देगी।
10. संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
11. राज्य सरकार की महाविद्यालय संबंधी प्रवेश नीति 2021–22 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
12. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेब पोर्टल **www.aishe.nic.in** पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा । महाविद्यालय अपलोड़ेड प्रमाण पत्र की हार्ड कॉपी आवश्यकतानुसार आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगा।

उपर्युक्त शर्तो की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र को प्रत्याहरित कर लिया जायेगा।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. विशिष्ट सहायक, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव आयुक्त आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, जयपुर।
5. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय।
7. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर । रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (नि0सं0)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर